

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-202-2019-5-एक.—श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), वि. क. अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती गौरी सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वार्यगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 6 से 14 मई 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

5331

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 8 से 17 मई 2019 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-962-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस., (2013) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को दिनांक 27 मई से 25 जून 2019 तक तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा आयएएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-1099-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अंकिता धाकरे, भाप्रसे (2017) सहायक कलेक्टर, राजगढ़ को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अंकिता धाकरे, (भाप्रसे) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री अंकिता धाकरे, (भाप्रसे) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अंकिता धाकरे, (भाप्रसे) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-631-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय दुबे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं

आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 17 से 28 मई 2019 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-781-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएस., (2000) कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 एवं 15, 16 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे की अवकाश की अवधि में श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भाप्रसे, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे द्वारा कमिश्नर सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-864-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएस., (2008) कलेक्टर जिला खण्डवा को

दिनांक 3 से 13 जून 2019 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-532-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 14 से 25 मई 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे, (1988) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 25 मई 2019 तक पच्चीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-645-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएस., प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं दिनांक 1 एवं 2, सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-768-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएस., अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-817-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएस., संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-942-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएस., (2005) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 22 से 26 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 6 से 10 जून 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004) संचालक, एम. पी. स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को दिनांक को 2 से 10 मई 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, संचालक, एम. पी. स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर, आयएएस., (2013) अपर कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1068-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 18 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक (दिनांक 26 मार्च 2019 को कार्य अवधि मान्य करते हुए) 16 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूणा शर्मा, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-970-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गिरीश कुमार मिश्रा, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय (वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह) को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 से 8 मार्च 2019 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 फरवरी से 6 मार्च 2019 तक पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव (कार्मिक)।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2019

क्र. एफ-1-(ए)147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 24 मई से 13 जून 2019 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अति. महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)65-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2019 को श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 7 फरवरी से दिनांक 8 मार्च 2019 तक 30 दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से निरस्त करता है।

क्र. एफ. 1(ए) 13-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे-09, सेनानी 29वीं वाहिनी, विसबल, दतिया को दिनांक 28 जनवरी से 12 फरवरी 2019 तक कुल 16 दिवस अर्जित

अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में पुणे (महाराष्ट्र) एवं इलाहाबाद (उ. प्र.) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. सुश्री सविता सोहाने — स्वयं
2. श्रीमती उषा — माताजी

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी 29वीं वाहिनी, विसबल, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मई 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2158.—(मेरिट क्र. 20), राज्य शासन, श्री आशीष मिश्रा पुत्र स्व. श्री मनमोहन प्रसाद मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1991 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2453.—(मेरिट क्र. 89), राज्य शासन, श्री प्रीतम शाह पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1988 है।

फा. क्र. 17(ई) 17-2016-इक्कीस-ब(एक) 2311-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) (1-क) तथा (2) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक तथा वित्तीय मामलों का निपटारा करने के लिये उस जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, जिसके सम्मुख उनके नाम उल्लिखित हैं, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

स. क्र.	जिला	स्थानीय क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	इंदौर	श्री कमलेश कुमार सोनी, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इन्दौर.
2.	भोपाल	श्रीमती नमिता द्विवेदी, बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल.
3.	जबलपुर	श्री वरूण पुनासे, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर.
4.	ग्वालियर	श्री राममनोहर सिंह दांगी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर.
5.	रीवा	श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा.
6.	बुरहानपुर	श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बुरहानपुर.
7.	सिंगरौली	श्री रमाकांत भारके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिंगरौली.

नोट.—यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है।

F. No. 17(E)17-2016-XXI-B(1)2311-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act. 2015 (No. 4 of 2016) and in light of the this department's Notification No. 17(e) 17-2016-XXI-B(1)1888-19, dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1, dated 12th April, 2019 issued under sub-section (1), (1-A) and (2) of Section 3 the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officers below District Judge level i. e. Civil Judge Level shown in the table below to be the Judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes for the district falling under it, against which their names are mentioned namely :—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Local limits of area (3)
“1.	Indore	Shri Kamlesh Kumar Soni, XIV th Civil Judge, Class-I, Indore.
2.	Bhopal	Smt. Namita Dwivedi, XX th Civil Judge, Class-I, Bhopal.
3.	Jabalpur	Shri Varun Punase, XI th , Civil Judge, Class-I, Jabalpur.
4.	Gwalior	Shri Ram Manohar Singh Dangi, II nd Civil Judge, Class-I, Gwalior.
5.	Rewa	Shri Kamalnath Jaisinghpure III rd Additional Judge to I st Civil Judge, Class-I, Rewa.
6.	Burhanpur	Shri Dharendra Singh Mandloi, II nd Civil Judge, Class-I, Burhanpur.
7.	Singrauli	Shri Ramakant Bharke, I st Civil Judge, Class-I, Singrauli.

Note.—This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) in this regard.

फा.क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)2311-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19,

दिनांक 2 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को, जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
1.	इंदौर	श्री विवेक सक्सेना, सप्तम अपर जिला न्यायाधीश इन्दौर.
2.	भोपाल	श्री धीरेन्द्र सिंह तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भोपाल.
3.	जबलपुर	श्री संजय कुमार साही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर.
4.	ग्वालियर	श्री सचिन शर्मा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर.
5.	रीवा	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नवम अपर जिला न्यायाधीश रीवा.

नोट.—यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचना(ओं) को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है.

F. No. 17(E)17-2016-XXI-B(1)2311-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act. 2015 (No. 4 of 2016) and in light of the this department's Notification No. 17(e) 17-2016-XXI-B(1)1888-19, dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1, dated 12th April, 2019 issued under Section 3A the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officers at district Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Commercial Appellate Court to deal with cases pertaining

to Commercial and Financial Disputes, namely :—

TABLE		
S. No.	District	Local limits of area
(1)	(2)	(3)
1.	Indore	Shri Vivek Saxena, VII th Additional District Judge, Indore.
2.	Bhopal	Shri Dharendra Singh, III rd . Additional District Judge, Bhopal.
3.	Jabalpur	Shri Sanjay Kumar Sahi, II nd Additional District Judge, Jabalpur.
4.	Gwalior	Shri Sachin Sharma, III rd Additional District Judge, Gwalior.
5.	Rewa	Shri Narendra Kumar Gupta, IX th Additional District Judge, Rewa.

Note.—This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) in this regard.

फा.क्र. 17(ई) 17-2016-इक्कीस-ब(एक) 2311-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र.17(ई) 17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को, जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :—

स. क्र.	जिला	स्थानीय क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	इंदौर	श्री विवेक सक्सेना, सप्तम अपर जिला न्यायाधीश इन्दौर.
2.	भोपाल	श्री धीरेन्द्र सिंह तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भोपाल.

(1)	(2)	(3)
3.	जबलपुर	श्री संजय कुमार साही, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर.
4.	ग्वालियर	श्री सचिन शर्मा, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर.
5.	रीवा	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नवम अपर जिला न्यायाधीश रीवा.

नोट.—यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचना(ओं) को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है.

F.No. 17(E)17-2016-XXI-B(1)2311-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 and in light of the this department's Notification No. 17(E) 17-2016-XXI-B(1)1888-19, dated 2nd April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1, dated 12th April, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of Section 3 of the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officers at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes namely :—

TABLE		
S. No.	District	Local limits of area
(1)	(2)	(3)
1.	Indore	Shri Vivek Saxena, VII th Additional District Judge, Indore.
2.	Bhopal	Shri Dharendra Singh, III rd . Additional District Judge, Bhopal.
3.	Jabalpur	Shri Sanjay Kumar Sahi, II nd Additional District Judge, Jabalpur.
4.	Gwalior	Shri Sachin Sharma, III rd Additional District Judge, Gwalior.
5.	Rewa	Shri Narendra Kumar Gupta, IX th Additional District Judge, Rewa.

Note.—This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) in this regard.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2019

फा.क्र. 2639-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार अयाची, 12वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा-40 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए, श्रीमती माधवी नागेन्द्र, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2019

पंजी. क्र. 2552-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, जिला मुख्यालय रतलाम में नियुक्त नोटरी, श्री पुनमचंद पालीवाल का दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 11 फरवरी 1992 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 11 फरवरी 2016 को अपास्त करते हुए, श्री पुनमचंद पालीवाल का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (क्रमांक 63 सन 1951) (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा-10 (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज अग्रवाल, तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2019

क्र. एफ-1-1-2019-1-उनसठ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2018 द्वारा डॉ. एस. एस. कुमारे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-8-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N-24°04'37.95" से N-24°05'15.65" उत्तर अक्षांश तथा E-78°40'17.54" से E-78°41'36.60" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बांदरी

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सगौरिया	सगौरिया	पहाड़ चट्टान	562	110.74	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 549, 550, 551, 540, 557, 558, 533, 532, 559, 561, 517, 519, 512, 510. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 562, 566 की सीमा प्राकृतिक नाला. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड पिड़रूआ कक्ष क्रमांक पी 191 की वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 562 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
योग . .					110.74	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 110.74 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

- (अ) **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
- (ब) **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2019

क्र. एफ-25-8-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8-2019-दस-3, दिनांक 6 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 6th April 2019

No. F-25-8-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°04'37.95" to N 24°05'15.65" North Latitude and E 78°40'17.54" to E 78°41'36.60" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Banda, Forest Division—North Sagar (T), Forest Range—Bandri

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagoriya	Sagoriya	Pahad Chattan	562	110.74	<p>North—Boundary of Revenue Kh. No. 549, 550, 551, 540, 557, 558, 533, 532, 559, 561 517, 519, 512, 510.</p> <p>East—Boundary of Revenue Kh. No. 562, 566, Natural Nala.</p> <p>South—Boundary of Protected Forest Block Pidarua Comtt. No. 191.</p> <p>West—Boundary of Revenue Kh. No. 562, Village Road.</p>
Total . .					110.74	

Reason for Publication of Notification.—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13 -2015-FC, dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land of was made available and out of the above land 110.74 hectare non Forest land was transferred and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014, date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) **Rights of Individuals**—There are not rights of individual.

(B) **Rights of Communities**—There are not rights of communities.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 667-सा.लि.-19:—कानून व्यवस्था एवं अपराधों की विवेचना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार पुलिस विभाग की क्षमता वृद्धि हेतु 5750 नवीन पदों के सृजन एवं नवीन पुलिस चौकियों की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं दीपक आर्य, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालाघाट एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 खण्ड(एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, जिले के ग्राम रजेगांव को नवीन पुलिस चौकी रजेगांव घोषित किया जाता है.

उक्त नवीन पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :—

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया है	नवीन पुलिस चौकी रजेगांव का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, (म. प्र.).	रजेगांव
2.	—"—	परसवाड़ा
3.	—"—	देवगांव
4.	—"—	कोहका
5.	—"—	बगड़मारा
6.	—"—	मंगोलीकला
7.	—"—	धड़ी
8.	—"—	नवरगांवकला
9.	—"—	मरी
10.	—"—	दिघोदा
11.	—"—	खारा
12.	—"—	बोड़न्दाकला
13.	—"—	छिंदगांव
14.	—"—	बटरमारा
15.	—"—	मोहगांवकला
16.	—"—	मौदा
17.	—"—	ओकासी

निकटतम थाना किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

स. क्र.	तहसील एवं थाने का नाम	पुलिस थाना किरनापुर का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, (म. प्र.).	किरनापुर
2.	—"—	नारायणटोला
3.	—"—	परसाटोला

(1)	(2)	(3)
4.	—”—	बम्हनगांव
5.	—”—	नक्शी
6.	—”—	मुंडेसरा
7.	—”—	मुरकुडा
8.	—”—	टिमकीटोला
9.	—”—	सोनपुरी
10.	—”—	कनेरी
11.	—”—	जराही
12.	—”—	हिरी
13.	—”—	हल्बीटोला
14.	—”—	बड़गांव
15.	—”—	आमगांव
16.	—”—	जानवा
17.	—”—	कटोरी
18.	—”—	सिवनीखुर्द
19.	—”—	माटे
20.	—”—	मुरी
21.	—”—	पाला
22.	—”—	दत्ता
23.	—”—	मोरवाही
24.	—”—	दहेदी
25.	—”—	साल्हे
26.	—”—	बक्कर
27.	—”—	नंदोरा
28.	—”—	सीतापार
29.	—”—	पिपरटोला
30.	—”—	सुसवा
31.	—”—	भालवा
32.	—”—	मड़कापार
33.	—”—	केशा
34.	—”—	रट्टापायली
35.	—”—	सारद
36.	—”—	सिवनीकला
37.	—”—	कोतरी
38.	—”—	कटंगी
39.	—”—	भानेगांव
40.	—”—	जामड़ी
41.	—”—	ढोरीया परसवाड़ा
42.	—”—	पानगांव
43.	—”—	कान्द्रीकला
44.	—”—	कड़कना

(1)	(2)	(3)
45.	—”—	कोकना
46.	—”—	कान्द्रीखुर्द
47.	—”—	चिखलामाली
48.	—”—	पारडी
49.	—”—	गन्नाटोला
50.	—”—	भुवा
51.	—”—	बोरगांव
52.	—”—	गुलवा
53.	—”—	सेवती
54.	—”—	नीलाघोंदी
55.	—”—	नेवारा
56.	—”—	अकोला
57.	—”—	गोपालपुर
58.	—”—	बिरनपुर
59.	—”—	बिनोरा
60.	—”—	तारटोला
61.	—”—	वारा
62.	—”—	बेनेगांव
63.	—”—	लवेरी
64.	—”—	बेलगांव
65.	—”—	रमगढ़ी
66.	—”—	डोंगरगांव
67.	—”—	कोस्ते

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2019

क्र. सह. अधिकरण/स्था./2019/702.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को म. प्र. राज्य सहकारी अधिकरण विनियम-2000 के विनियम-24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20 मई 2019 से 14 जून 2019 तक में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 27 मई 2019 से 10 जून 2019 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे. जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 02-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि ग्राम इन्द्रा, तहसील बरेला, जिला जबलपुर के अंतर्गत अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के तहत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	बरेला	इन्द्रा	0.31	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.	अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 1 मार्च 2019

प्र. क्र. 01-अ-82-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 हेतु	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	माना	6.629	निदेशक, रेल विकास निगम भोपाल.	तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेशांकर मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) भीकनगांव,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-19-20.—

भीकनगांव, दिनांक 6 मई 2019

प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई,उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम पोखर,प.ह.नं 18,तहसील झिरन्या,जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगांव,जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में,जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्विस दिवस के भीतर,भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	झिरन्या	पोखर,18	128/1	0.0918
			128/2	0.745
			121/3	0.0175
			121/2/3	
			120/2/3	0.0590
			121/7	0.0150
			121/4	
			121/6	0.0130
			120/2/4	0.0450
			121/5	0.0115
			120/2/5	0.0600
			121/2	0.0115
			120/3	0.0550
			114/2	0.0530
			114/1	0.0640
			65/1	0.0400
			63/2/1	0.023
63/1/2	0.0220			
63/1/1	0.0135			
कुल योग				0.6693

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-19-20.—

प्रारूप — ख

(नियम 6 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम छिल्टया, प.ह.नं.59, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगॉव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	भीकनगॉव	छिल्टया, 59	116/4	0.008
			116/3	0.041
			116/2	0.034
			116/1/1/2	0.032
कुल योग				0.115

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-19-20.—

प्रारूप - ख

(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई,उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम इगरिया,प.ह.नं.59,तहसील भीकनगोंव,जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगोंव,जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्सद्वारा भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में,जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर,भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगोंव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	भीकनगोंव	इगरिया, 59	176 / 1 / 1	0.055
			174 / 3	0.02
			174 / 2	0.02
			174 / 1	0.023
			174 / 4	0.012
			170 / 4,173 / 4	0.018
			170 / 3,173 / 3	0.06
			170 / 1,173 / 1	0.03
			170 / 2 / 1,173 / 2 / 1	0.03
			170 / 2 / 2,173 / 2 / 2	0.03
			136 / 3 / 2	0.023
			136 / 3 / 1	0.023
			27 / 1	0.036
			22 / 9,23 / 9	0.036
			22 / 8,23 / 8	0.023
			22 / 7,23 / 7	0.018
			22 / 6,23	0.009
			22 / 5,23 / 5	0.009
			22 / 10,23 / 10	0.014
			22 / 11 / 23 / 11	0.01
			21 / 3	0.052
		कुल योग		0.551

रा. प्र. क्र. 04-अ-82-19-20.—

प्रारूप - ख

(नियम 6 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम गोराइया जागीर, प.ह.नं. 61 तहसील भीकनगोव, जिला खरगोन से शिवना ग्राम तहसील भीकनगोव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्विस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगोव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	इपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	भीकनगोव	गोराइया जागीर, 61	234/3	0.192
			234/4	0.198
			241/1/1	0.087
			241/2	0.043
			241/4	0.043
			241/3	0.043
			242/2	0.107
			360/5	0.077
			360/2	0.078
			362/2	0.160
			367/2	0.192
			384/4/1,384/5	0.154
			392/2	0.312
			392/3	0.228
			391/2/3	0.392
			393/1	0.425
			392/1	0.312
			391/2/1	0.238
			391/1/2	0.090
			391/1/1	0.216
			389/1	0.034
			317/4	0.020
			317/1	0.109
			317/5	0.023
			317/6	0.061
			318/4	0.095
			318/1	0.027
			319/1	0.090
			320/6	0.027
			321/2	0.104
			321/1	0.033
			322/1	0.030

			322/3	0.100
			307/2	0.033
			323/1	0.063
			305/3	0.105
			305/2	0.100
			305/1/1	0.114
			375/2	0.055
			274/2	0.169
			272/1	0.010
			278	0.050
			234/1	0.130
			233/3	0.078
			233/2	0.085
			233/1	0.085
			232/1	0.267
			229/3	0.070
			229/2	0.070
			229/1	0.135
			228/1/2	0.195
			228/1/1	0.067
			227/1	0.144
			227/2	0.132
			227/3	0.034
			53	0.280
			54/1	0.027
			47	0.038
			48/1	0.127
			49/3	0.110
			49/1	0.060
			30	0.100
			31	0.036
			32	0.180
			27/1,28,28/398/1	0.174
			26/4	0.034
			26/3	0.050
			26/1	0.056
			23/3	0.020
			23/1	0.040
			23/3	0.033
			22/1	0.055
			26/4	0.045
			20/2,20/404	0.035
			18/3	0.107
			39/1	0.039
			38/4	0.023
			38/3	0.034
			38/2	0.028
				0.024
		कुल योग		8.2844

रा. प्र. क्र. 05-अ-82-19-20.-

प्रारूप - ख

(नियम 6 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई,उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम नेमित,प.ह.नं.11,तहसील झिरन्या,जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगाँव,जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्सद्वारा भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में,जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर,भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पट वारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	झिरन्या	नेमित,11	170/2	0.146
			169	0.1
			168/1	0.072
			168/2	0.051
			153/2	0.04
			153/3	0.04
			154	0.117
			155	0.108
			156/2	0.099

		157 / 1 / 2	0.068
		157 / 1 / 1	0.051
		157 / 2 / 1	0.121
		158 / 1 / 2	0.3
		68 / 4,69 / 3	0.012
		66 / 1 / 2,68 / 1	0.04
		62 / 4 / 2,66 / 2 / 2,68 / 2 / 2,69 / 2 / 2, 70 / 2 / 2	0.04
		62 / 4 / 1,66 / 2 / 1,68 / 2 / 1,69 / 2 / 1, 70 / 2 / 1 / 1	0.02
		67 / 1	0.007
		28 / 1	0.015
		29 / 1,29 / 2,31 / 3	0.05
		31 / 2	0.02
		32 / 5 / 1	0.041
		36 / 2	0.02
		43 / 1 / 1	0.02
		43 / 1 / 3 / 1	0.04
		43 / 1 / 3 / 2	0.03
		43 / 1 / 3 / 3	0.051
		45 / 3,46 / 3	0.012
		45 / 2,46 / 2	0.012
		45 / 46 / 1	0.012
		कुल योग	1.755

रा. प्र. क्र. 06-अ-82-19-20.—

प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई, उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम खोई.ह.नं.15, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से शिवना तहसील भीकनगोंव, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्कस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगोंव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूचि

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
01	02	03	04	05
0.02	झिरन्या	खोई, 15	1/2शा.नं.2/2	0.091
			4	0.012
			5/2/3शा.नं.6/2	0.065
			6/2	0.123
			9/6/2,9/7/2	0.012
			9/6/1	0.022
			9/7/1	0.02
			9/8	0.02
			9/2/1	0.072
			9/4	0.104
			11/8	0.141
			11/3	0.032
			11/4	0.111
			15/3	0.08
			15/2	0.087
			15/1/2	0.091
	कुल योग		16	1.191

रा. प्र. क्र. 07-अ-82-19-20.—

प्रारूप - ख
(नियम 6 का उपनियम (2)देखिए)

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि सिंचाई,उद्योग एवं पेयजल परिवहन हेतु ग्राम शिवना,प.ह.नं.17,तहसील झिरन्या,जिला खरगोन से शिवना ग्रामतहसील भीकनगाँव,जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्सद्वारा भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार का उक्त भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में,जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपे आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्किस दिवस के भीतर,भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भीकनगाँव को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
01	02	03	04	05
खरगोन	झिरन्या	शिवना,17	329/3/6	0.117
			279/2/1	0.055
			471/3शा.नं.472/3	0.078
			471/1/1/5	0.075
			323	0.226
			328/1	0.240
			329/3/1	0.060
			329/3/2	0.057
			329/3/3	0.036
			329/3/4	0.038
			329/3/5	0.038
			334,शा.नं.335/2	0.058
			336/2	0.0612
336/1	0.0612			

		467 / 2,469 / 2	0.0108
		467,469 / 3	0.036
		471 / 1 / 1 / 1,472 / 1 / 1 / 1	0.045
		525 / 1 / 1	0.294
		507 / 2	0.054
		507 / 742	0.063
		519 / 1 / 1	0.084
		519 / 1 / 6	0.0924
		519 / 1 / 2	0.018
		521 / 1	0.080
		525 / 1 / 2	0.098
		525 / 2	0.378
		533 / 1 / 3	0.119
		530 / 1	0.193
		530 / 2	0.193
		530 / 3	0.193
		529,531	0.798
		532 / 1	1.12
		532 / 2	0.379
		535 / 1	0.096
		536 / 1 / 4	0.031
		537 / 1 / 1	0.051
		549 / 2	0.078
		471 / 1 / 1 / 4,472 / 1 / 1 / 4	0.0505
		551,556	0.105
		553	0.036
		555 / 2	0.052
		536 / 1 / 5	0.055
		536 / 1 / 7	0.030
	कुल योग	43	6.0331

शिवप्रसाद मंडराह, भू-अर्जन अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 मई 2019

क्र. 129-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—सिलपरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.895 हेक्टर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
545	0.336	0.070
546/1	0.096	0.033
546/2	0.097	0.033
547	0.259	0.130
548	0.089	0.066
549	0.121	0.078
550	0.154	0.154
551	0.158	0.006
553	0.089	0.089
555	0.097	0.097
568	0.049	0.028
826	0.692	0.164
827/2	0.081	0.036
828	1.100	0.216
829/1	0.433	0.184
832/1	0.778	0.180
868	0.478	0.054
869	0.478	0.038
870/1	0.405	0.170
870/2	0.388	

(1)	(2)	(3)
872/1	0.263	
872/3/1	0.171	0.211
872/3/2	0.173	
872/2	0.245	0.111
885	0.437	0.180
977	0.773	0.280
978	0.388	0.104
979	0.429	0.100
980	0.741	0.204
981	0.105	0.020
982	0.105	0.105
983	0.113	0.008
984	0.360	0.104
985/1	0.081	
985/2	0.077	0.120
985/3	0.077	
987	0.239	0.088
990	0.150	0.074
991	0.089	0.062
992	0.210	0.110
993	0.162	0.100
996	0.278	0.050
979/1/1	0.032	0.014
998/1	0.002	
998/2	0.002	0.024
998/3	0.069	
योग . .	12.173	3.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है—मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., संभाग रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा लिंक रोड के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 130-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि के

अर्जन की आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)
अनुसूची	51/1	0.430	
	51/2	0.097	0.014
(1) भूमि का वर्णन—	51/3	0.028	
(क) जिला—रीवा	51/4	0.097	
(ख) तहसील—हुजूर	52/1	1.708	
(ग) ग्राम—भटलो	52/2	0.493	0.516
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.012 हेक्टर.	52/3	0.251	
	52/4	1.955	
खसरा नं.	52/5	0.672	
	52/6	0.810	
(1)	53	0.134	0.036
	54	2.230	0.496
12/1	56/1	0.369	
12/2	56/2	0.804	
12/3	56/3	0.405	
14/1	56/4/1	0.405	0.180
14/2	56/4/2	0.016	
15	56/5	0.413	
16	57/1	0.081	0.012
17	57/2	0.040	
19/1	59	0.057	0.022
19/2	61/1	0.450	
26/1	61/2	0.437	0.134
28/1क	61/3	1.100	
28/1ग	62/2		
28/2	62/5	0.190	0.182
28/3	62/6		
28/4	65/7		
29/1	63/1	0.150	0.030
30/1	64/1	0.462	
30/2	64/1/2	0.591	0.396
30/3	64/1/3	0.591	
30/4	64/1/4	0.591	
30/5	66	0.092	0.040
34	67	0.029	0.022
35/1	68/1	3.031	0.050
35/2			
35/3			
35/4			
35/5			
49/1			
49/2			
50/1			
50/2			
50/3			
	योग . .	29.099	4.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., संभाग रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा लिंक रोड के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति समपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2019

क्र. A-1126-दो-2-15-2019.—श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 फरवरी से 02 मार्च 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1128-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 22 से 26 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2451-दो-2-62-2014.—श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 13 से 17 मई 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2454-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 02 से 05 अप्रैल 2019 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 एवं 07 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2069-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है।

1. दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2019 तक आठ दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 29 से 30 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 01 से 02 मई 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2071-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 11 से 12 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2075-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 01 से 04 मई 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2077-दो-3-48-2009.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 24 से 25 अप्रैल 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2019

क्र. D-2969-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2018 तक तीन दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2018 के एक दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2019

क्र. 140-स्था. सैट-2019.—श्रीमती मोनी राजू, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 16 जनवरी से 08 मार्च 2019 तक कुल बावन दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मोनी राजू को स्वीकृत लघुकृत अवकाश उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में से दो गुना विकलित होगा।

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनी राजू को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र राय, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2019

वर्ष 2020 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची

क्र. 3(ए)-02-2006-1887-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन वर्ष 2020 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अशोक कुमार सौंधिया	12-01-1960	11-01-2020	31-01-2020
2	श्रीमती अलका दुबे	14-01-1960	13-01-2020	31-01-2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	श्री राजेन्द्र चौरसिया	20-01-1960	19-01-2020	31-01-2020
4	श्री श्रीपाल यादव	28-01-1960	27-01-2020	31-01-2020
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	07-02-1960	06-02-2020	29-02-2020
6	श्री राम नारायण चौधरी	11-02-1960	10-02-2020	29-02-2020
7	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	26-02-1960	25-02-2020	29-02-2020
8	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	06-03-1960	05-03-2020	31-03-2020
9	श्री ब्रह्मा शंकर दीक्षित	15-03-1960	14-03-2020	31-03-2020
10	श्री किसना अतुलकर	17-03-1960	16-03-2020	31-03-2020
11	श्री नवनीत कुमार गोधा	09-04-1960	08-04-2020	30-04-2020
12	श्री प्रदीप कुमार व्यास	24-04-1960	23-04-2020	30-04-2020
13	श्री इकबाल खान गौरी	07-05-1960	06-05-2020	31-05-2020
14	कु. मंजुलता चतुर्वेदी	25-05-1960	24-05-2020	31-05-2020
15	डॉ. सुभाष कुमार जैन	28-05-1960	27-05-2020	31-05-2020
16	श्री संजय शुक्ला	01-07-1960	30-06-2020	30-06-2020
17	श्री माखन लाल झोड़	01-07-1960	30-06-2020	30-06-2020
18	श्री मुकेश कुमार बाथम	03-07-1960	02-07-2020	31-07-2020
19	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा	06-07-1960	05-07-2020	31-07-2020
20	श्री श्याम कान्त कुलकर्णी	09-07-1960	08-07-2020	31-07-2020
21	श्री राजीव कुमार सिंह	19-07-1960	18-07-2020	31-07-2020
22	श्री धनराज दुबेला	26-07-1960	25-07-2020	31-07-2020
23	श्री मुंशी सिंह चंद्रावत	01-08-1960	31-07-2020	31-07-2020
24	श्री रितुराज बसंत कुमार	10-08-1960	09-08-2020	31-08-2020
25	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	12-08-1960	11-08-2020	31-08-2020
26	श्री अमनीश कुमार वर्मा	16-09-1960	15-09-2020	30-09-2020
27	श्री श्याम बिहारी वर्मा	02-10-1960	01-10-2020	31-10-2020
28	श्री दिलीप कुमार मित्तल	03-10-1960	02-10-2020	31-10-2020
29	श्री कुशल पाल सिंह	12-10-1960	11-10-2020	31-10-2020
30	डॉ. शिव कुमार मिश्रा	17-10-1960	16-10-2020	31-10-2020
31	श्री राम प्रकाश मिश्रा	07-11-1960	06-11-2020	30-11-2020
32	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)	08-11-1960	07-11-2020	30-11-2020
33	श्री रमेश कुमार सोनी	10-12-1960	09-12-2020	31-12-2020
34	श्री चन्द्रेश कुमार खरे	16-12-1960	15-12-2020	31-12-2020
35	श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया	18-12-1960	17-12-2020	31-12-2020
36	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी	01-01-1961	31-12-2020	31-12-2020
37	श्री सभापति यादव	01-01-1961	31-12-2020	31-12-2020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.